सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 658 राँची, शुक्रवार, 17 भाद्र, 1938 (श०)

8 सितम्बर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

4 सितम्बर, 2017

विषय :- राँची में स्मार्ट सिटी बनाने एवं लाईट मेट्रो रेल के परिचालन के निमित्त मे० भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के द्वारा 656.30 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रत्यर्पण एवं इसके विरूद्ध मे० भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के आधुनिकीकरण हेतु Revival Package के रूप में कुल 721,93,00,000/-रू० (सात सौ इक्कीस करोड़ तिरानवे लाख रूपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-5/न०वि०/Smart City के लिए भू०अधि०-07/2016 (छाया संचिका)-5669--, विभागीय संकल्प संख्या-2273 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर कुल 341+100=441 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रत्यर्पित किये जाने के लिए कुल रू० 485,10,00,000/- मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है ।

2. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-41, 42 एवं 43, दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा क्रमशः 62.57 करोड़, 10.00 करोड़ एवं 20.00 करोड़ अर्थात् कुल 92.57 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. पुनः दिनांक 9 फरवरी, 2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची से भूमि हस्तांतरण संबंधी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कर्णांकित 215.30 एकड़ भूमि स्मार्ट सिटी के प्रयोजनार्थ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को हस्तांतरित की जायेगी । तद्नुसार कुल हस्तांतरण योग्य भूमि 656.30 एकड़ होगी ।

4. उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद, भारत सरकार की बैठक दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के Revival Package, 2015 के अन्तर्गत कुल 675.43 एकड़ भूमि (पुलिस मुख्यालय हेतु कर्णांकित 19.13 एकड़ सहित) झारखण्ड राज्य सरकार को रू० 1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर से हस्तांतरण पर स्वीकृति दी गयी है ।

5. राँची में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर विभागीय संकल्प संख्या-4552 दिनांक 16 अगस्त, 2016 द्वारा 'राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड' (RSCCL) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस०पी०वी०) का गठन किया गया है जिसका निबंधन कम्पनी एक्ट, 2013 के अन्तर्गत किया गया है ।

6. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राँची में स्मार्ट सिटी हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची की कुल 656.30 एकड़ भूमि उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के संकल्प संख्या-944 दिनांक 19 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित रू० 1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर से नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रत्यर्पित किये जाने के विरूद्ध कुल 721,93,00,000/-रू० (सात सौ इक्कीस करोड़ तिरानवे लाख रूपये) मात्र राशि के भुगतान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

7. उल्लेखनीय है कि मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को Revival Package, 2015 के अधीन राज्य सरकार को भूमि प्रत्यर्पण के विरूद्ध अब तक मे० ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (GRDA) द्वारा Core Capital Area हेतु कर्णांकित राशि में से रू० 100.00 करोड़ तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा रू० 92.57 करोड़ की राशि अर्थात् कुल रू० 192.57 करोड़ उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

8. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के स्तर पर दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में Core Capital Area विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि में से मे० ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (GRDA) के स्तर पर संधारित अवशेष

रू० 237.00 करोड़ की राशि भी स्मार्ट सिटी हेतु भूमि के हस्तांतरण के बदले मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को उपलब्ध कराई जायेगी ।

9. मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची द्वारा प्रत्यर्पित की जानेवाली भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः-

Sl.No.	Village	Land in Acres
1	Latma - 2	135.03
2	Hatia	14.95
3	Kachnartoli	160.23
4	Kalyanpur	30.79
5	Kalyanpur (Thana No. 245)	82.00
6	Jagarnathpur (Thana No. 244)	18.00
7	Land earmarked for Deptt. of Revenue, Registration and Land Reforms	215.30
	Total -	**656.30**

10. उक्त स्वीकृत राशि के भुगतान की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग की मांग संख्या 48 के अंतर्गत शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद के अधीन TSP, OSP एवं SCSP प्रक्षेत्र में प्राप्त बजट उपबंध तथा स्मार्ट सिटी परियोजना से सम्बद्ध अन्य विभागों के अधीन सुसंगत बजट शीर्ष में उपलब्ध राशि से की जाएगी तथा इसका भुगतान मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में किया जाएगा ।

11. सम्पूर्ण स्वीकृत राशि का भुगतान मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची को उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से किया जाएगा ।

12. उपरोक्त के आलोक में एतद् द्वारा उद्योग, खान एवं भू-तत्व विभाग के संकल्प संख्या-944, दिनांक 19 मार्च, 2016 की कंडिका-11 'क' एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं०-2273, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

13. संदर्भित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29 अगस्त, 2017 को संपन्न बैठक में मद संख्या 8 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 658--50